

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई 2023 — आषाढ़ 20, शक 1945

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 जून 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-6/2022/16.— छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018 (2016 का 18) की धारा 3 एवं 4 के उपबंधों के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) के अधीन श्रमिक पंजीयन, विभिन्न योजनाओं एवं भविष्य में लागू की जाने वाली योजनाओं में “भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (क. 28 सन् 1996)” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के अंतर्गत संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित है।
- (1) पंजीयन एवं योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति से एतद्वारा अपेक्षित है कि वह अपनी आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।
(2) यदि पंजीयन एवं योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति ने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है और वह आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो उससे आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा तथा ऐसा व्यक्ति, आधार के लिए नामांकन प्राप्त करने हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार ऐसे हितग्राहियों को, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं, प्रसुविधा देने के लिये नामांकन सुविधा का प्रस्ताव (ऑफर) देने की अपेक्षा है, अतएव, ऐसे हितग्राहियों को राज्य शासन द्वारा, जिला आधार नामांकन केन्द्रों के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी :

परन्तु यह कि किसी भी व्यक्ति को आधार समुदेशित किये जाने तक, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के अध्यक्षीन रहते हुए, पंजीयन एवं योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान करायी जायेंगी, अर्थात् :-

- (क) (एक) यदि वह आधार नामांकित है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या
(दो) आधार नामांकन के लिए उनके द्वारा दी गई अनुरोध की प्रति; और
- (ख) (एक) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या
(दो) राशन कार्ड; या
(तीन) फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या
(चार) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
(पांच) पासपोर्ट; या
(छः) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राईविंग लायसेंस; या
(सात) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहतसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र; या
(आठ) फोटो (पासपोर्ट साईज);
(नौ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कार्ड; या
(दस) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच, उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या जिला कार्यालय के अभिहित अधिकारी द्वारा की जायेगी।

3. हितग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवायें उपलब्ध कराने के लिए, पंजीयन एवं योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं भी करेंगे, अर्थात् :-
- (एक) हितग्राहियों को योजनाओं के अधीन आधार की आवश्यकता के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार तथा विकासखण्ड कार्यालयों या ग्राम पंचायतों के माध्यम से वैयक्तिक रूप से सूचना देना;
- (दो) यह भी परामर्श देना कि यदि वे पूर्व में नामांकित नहीं है, तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर अपने आधार के लिए नामांकन करायें।
- (तीन) उपलब्ध स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें प्रदाय कराना।
4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 30th June 2023

NOTIFICATION

No. F10-6/2022/16.— In exercise of the powers conferred by rule 277 and 279 of the Chhattisgarh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Service Conditions) Rules, 2008 and in pursuance to the provisions of sections 3 and 4 of the Chhattisgarh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services and Protection of Information) Act, 2018 (18 of 2016), the State Government, hereby, notifies the following, namely: :

1. Worker registrations, various Schemes and plans to be implemented in the future under the Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board (Labour Department) involves expenditure incurred from the Consolidated Fund under 'Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act 1996 (No. 28 of 1996) ' read with "Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Cess Rules 1998".

2. (1) An individual desirous of benefit under registration and schemes is hereby expected to furnish proof of possession of the Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (2) In case an individual desirous of getting benefit under registration and schemes has not yet enrolled for Aadhaar and he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016), he or she is required to make application for Aadhaar enrolment and such individuals may visit any Aadhaar Enrollment Centers (list available at www.uidai.gov.in website) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) Beneficiaries, as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 is required to offer enrollment facilities for providing benefits, who have not yet enrolled for Aadhaar, therefore, the State Government may provide Aadhaar enrollment facilities to such beneficiaries at convenient locations in collaboration with the District Aadhaar enrolment Centers:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to any individual, benefits under registration and Schemes shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) If he has Aadhaar enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) A copy of his request made for Aadhaar enrollment: and
- (b) (i) The voter identity card issued by the Election Commission of India; or
(ii) Ration card; Or
(iii) Bank passbook with photograph; or
(iv) Permanent Account Number (PAN) card issued by the Income Tax Department; or
(v) passport; or
(vi) A driving license issued by the licensing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(vii) the identity certificate with the photograph of the member by a Gazette Officer or a Tehsildar on his official letterhead;
(viii) Photo (passport Size);
(ix) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or
(x) Any other document specified by the State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government or District Office for that Purpose.

3. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board (Labour Department) under registration and schemes, Shall make all the required arrangements including the following, namely:-
 - (i) Wide Publicity through media and Individual notice through development block officers or gram panchayats shall be given to the beneficiaries to make them aware of the the requirements of Aadhaar under the schemes;
 - (ii) They may also be advised to get themselves enrolled for aadhar at the nearest enrollment center available in their areas, in case they are not already enrolled; and
 - (iii) The list of locally available enrollment center shall be made available to them.
4. This notification shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHUTOSH PANDEY, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 जून 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-6/2022/16.— श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क. 36 सन् 1983) की धारा 33क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018 (2016 का 18) की धारा 3 एवं 4 के उपबंधों के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल (श्रम विभाग) के अधीन संचालित समस्त योजनाओं एवं भविष्य में लागू की जाने वाली समस्त योजनाओं में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित है।
2. (1) योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति से एतद्वारा अपेक्षित है कि वह अपनी आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।
- (2) यदि योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति ने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है और वह आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो उससे आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा तथा ऐसा व्यक्ति, आधार के लिए नामांकन प्राप्त करने हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।
- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार ऐसे हितग्राहियों को, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, प्रसुविधा देने के लिये नामांकन सुविधा का प्रस्ताव (ऑफर) देने की अपेक्षा है, अतएव, ऐसे हितग्राहियों को राज्य शासन द्वारा, जिला आधार नामांकन केन्द्रों के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी :

परन्तु यह कि किसी भी व्यक्ति को आधार समुदेशित किये जाने तक, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के अध्यक्षीन रहते हुए, योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान करायी जायेंगी, अर्थात् :-

- (क) (एक) यदि वह आधार नामांकित है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या
- (दो) आधार नामांकन के लिए उनके द्वारा दी गई अनुरोध की प्रति; और
- (ख) (एक) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या
- (दो) राशन कार्ड; या
- (तीन) फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या
- (चार) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
- (पांच) पासपोर्ट; या
- (छः) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लायसेंस; या
- (सात) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहतसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र; या
- (आठ) फोटो (पासपोर्ट साईज);
- (नौ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कार्ड; या
- (दस) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच, उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या जिला कार्यालय के अभिहित अधिकारी द्वारा की जायेगी।

3. हितग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवायें उपलब्ध कराने के लिए, योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल (श्रम विभाग) निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं भी करेंगे, अर्थात् :-
- (एक) हितग्राहियों को योजनाओं के अधीन आधार की आवश्यकता के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार तथा विकासखण्ड कार्यालयों या ग्राम पंचायतों के माध्यम से वैयक्तिक रूप से सूचना देना;

- (दो) यह भी परामर्श देना कि यदि वे पूर्व में नामांकित नहीं है, तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर अपने आधार के लिए नामांकन करायें।
- (तीन) उपलब्ध स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें प्रदाय कराना।
4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 30th June 2023

NOTIFICATION

No. F10-6/2022/16.— In exercise of the powers vested in Section 33-A of the Chhattisgarh Labour Welfare Fund Act, 1982 (No. 36 of 1983) and in pursuance to the provisions of sections 3 and 4 of the Chhattisgarh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services and Protection of Information) Act, 2016 (18 of 2016), the State Government, hereby, notifies the following, namely: :

1. All scheme conducted under the Chhattisgarh Labour Welfare Board (Labour Department) and all the schemes to be implemented in the future involves expenditure incurred from the Labour Welfare Fund of Chhattisgarh.
2. (1) An individual desirous of benefit under schemes is hereby expected to furnish proof of possession of the Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (2) In case an individual desirous of getting benefit under the schemes has not yet enrolled for Aadhaar and he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016), he or she is required to make application for Aadhaar enrolment and such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centers(list available at www.uidai.gov.in website) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) Beneficiaries, as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 is required to offer enrolment facilities for providing benefits, who have not yet enrolled for Aadhaar, therefore, the State Government may provide Aadhaar enrolment facilities to such beneficiaries at convenient locations in collaboration with the District Aadhaar enrolment Centers:.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to any individual, benefits under the Schemes shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) If he has Aadhaar enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) A copy of his request made for Aadhaar enrollment: and
- (b) (i) The voter identity card issued by the Election Commission of India; or
- (ii) Ration card; Or
- (iii) Bank passbook with photograph; or
- (iv) Permanent Account Number (PAN) card issued by the Income Tax Department; or
- (v) passport; or
- (vi) A driving license issued by the licensing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
- (vii) the identity certificate with the photograph of the member by a Gazette Officer or a Tehsildar on his official letterhead;

- (viii) Photo (passport Size);
- (ix) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or
- (x) Any other document specified by the State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government or District Office for that Purpose.

3. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Chhattisgarh Labour Welfare Board (Labour Department) under the schemes, Shall make all the required arrangements including the following, namely:-
 - (i) Wide Publicity through media and Individual notice through development block officers or gram panchayats shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirements of Aadhaar under the schemes;
 - (ii) They may also be advised to get themselves enrolled for aadhar at the nearest enrollment center available in their areas, in case they are not already enrolled; and
 - (iii) The list of locally available enrollment center shall be made available to them.
4. This notification shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHUTOSH PANDEY, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 जून 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-6/2022/16 .— छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018 (2016 का 18) की धारा 3 एवं 4 के उपबंधों के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल (श्रम विभाग) के अधीन संचालित योजनाओं एवं भविष्य में लागू की जाने वाली योजनाओं में छत्तीसगढ़ के संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित है।
2. (1) योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति से एतद्वारा अपेक्षित है कि वह अपनी आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।
 - (2) यदि योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति ने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है और वह आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो उससे आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा तथा ऐसा व्यक्ति, आधार के लिए नामांकन प्राप्त करने हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।
 - (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार ऐसे हितग्राहियों को, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं, प्रसुविधा देने के लिये नामांकन सुविधा का प्रस्ताव (ऑफर) देने की अपेक्षा है, अतएव, ऐसे हितग्राहियों को राज्य शासन द्वारा, जिला आधार नामांकन केन्द्रों के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी :

परन्तु यह कि किसी भी व्यक्ति को आधार समुदेशित किये जाने तक, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के अध्यक्षीन रहते हुए, योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान करायी जायेंगी, अर्थात् :-

- (क) (एक) यदि वह आधार नामांकित है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या
- (दो) आधार नामांकन के लिए उनके द्वारा दी गई अनुरोध की प्रति; और
- (ख) (एक) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या
- (दो) राशन कार्ड; या

- (तीन) फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या
 (चार) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
 (पांच) पासपोर्ट; या
 (छः) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लायसेंस; या
 (सात) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहतसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र; या
 (आठ) फोटो (पासपोर्ट साईज);
 (नौ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कार्ड; या
 (दस) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच, उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या जिला कार्यालय के अभिहित अधिकारी द्वारा की जायेगी।

3. हितग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवायें उपलब्ध कराने के लिए, योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल (श्रम विभाग) निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं भी करेंगे, अर्थात् :-
- (एक) हितग्राहियों को योजनाओं के अधीन आधार की आवश्यकता के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार तथा विकासखण्ड कार्यालयों या ग्राम पंचायतों के माध्यम से वैयक्तिक रूप से सूचना देना;
- (दो) यह भी परामर्श देना कि यदि वे पूर्व में नामांकित नहीं हैं, तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर अपने आधार के लिए नामांकन करायें।
- (तीन) उपलब्ध स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें प्रदाय कराना।
4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 30th June 2023

NOTIFICATION

No. F10-6/2022/16.— In pursuance to the provisions of sections 3 and 4 of the Chhattisgarh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services and Protection of Information) Act, 2018 (18 of 2016), the State Government, hereby, notifies the following, namely: -

1. The schemes conducted under the Chhattisgarh Unorganized Workers State Social Security Board (Labour Department) and the schemes to be implemented in future involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of Chhattisgarh.
2. (1) An individual desirous of benefit under schemes is hereby expected to furnish proof of possession of the Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (2) In case an individual desirous of getting benefit under the schemes has not yet enrolled for Aadhaar and he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016), he or she is required to make application for Aadhaar enrolment and such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centers(list available at www.uidai.gov.in website) to get enrolled for Aadhaar.

- (3) Beneficiaries, as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 is required to offer enrollment facilities for providing benefits, who have not yet enrolled for Aadhaar, therefore, the State Government may provide Aadhaar enrollment facilities to such beneficiaries at convenient locations in collaboration with the District Aadhaar enrolment Centers:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to any individual, benefits under the Schemes shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) If he has Aadhaar enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) A copy of his request made for Aadhaar enrollment: and
- (b) (i) The voter identity card issued by the Election Commission of India; or
(ii) Ration card; Or
(iii) Bank passbook with photograph; or
(iv) Permanent Account Number (PAN) card issued by the Income Tax Department; or
(v) passport; or
(vi) A driving license issued by the licensing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(vii) the identity certificate with the photograph of the member by a Gazette Officer or a Tehsildar on his official letterhead;
(viii) Photo (passport Size);
(ix) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or
(x) Any other document specified by the State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government or District Office for that Purpose.

3. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Chhattisgarh Unorganized Workers State Social Security Board (Labour Department) under the schemes, Shall make all the required arrangements including the following, namely:-
- (i) Wide Publicity through media and Individual notice through development block officers or gram panchayats shall be given to the beneficiaries to make them aware of the the requirements of Aadhaar under the schemes;
- (ii) They may also be advised to get therseleves enrolled for aadhar at the nearest enrollment center available in their areas, in case they are not already enrolled; and
- (iii) The list of locally available enrollment center shall be made available to them.

4. This notification shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHUTOSH PANDEY, Deputy Secretary.